वीज़ा ऐप्लिकेशन शुल्कों के रीफंड्स व छूट

वीज़ा ऐप्लिकेशन शुल्कों के रीफंड्स

अगर आपने किसी ऐसे वीज़ा ऐप्लिकेशन या वीज़ा एक्सटेंशन के लिए भुगतान किया है जो कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है, तो आप अपने वीज़ा ऐप्लिकेशन चार्ज (VAC) के रीफंड या छूट के लिए योग्य हो सकते हैं।

आप VAC रीफंड का अनुरोध केवल तभी कर सकते हैं अगर आप अपनी ओरिजिनल VAC रसीद पर 'भुगतानकर्ता' के रूप में दिखाए गए व्यक्ति हों।

कोविड-19 यात्रा प्रतिबंध VAC रीफंड अनुरोध फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके अपने रीफंड का अनुरोध करें।

अन्य VAC रीफंड प्रावधानों के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए रीफंड प्राप्त करना देखें।

आप वीईवीओ(VEVO) के ज़रिये अपने वीज़ा विवरण और शर्तों को चेक कर सकते हैं।

अस्थायी कुशलता अभाव (Temporary Skill Shortage) या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) वीज़ा (उपवर्ग 482 तथा 457)

यदि आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और आपके पास 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद अस्थायी कुशलता अभाव या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) वीज़ा था, जो तब से समाप्त हो गया है, तो आप आगामी अस्थायी कुशलता अभाव (उपवर्ग 482) वीज़ा आवेदन के लिए वीएसी (VAC) शुल्कमाफी के लिए पात्र होंगे/होंगी अगर:

- आपका वीज़ा समाप्त होने से पहले आप कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ थे/थीं; या

- आपने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और प्रस्थान किया लेकिन कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ऑस्ट्रेलिया लौटने में असमर्थ थे/थीं।

आवेदकों के पास वैध नामांकन होना ज़रूरी है। आवेदन 31 दिसंबर 2022 से पहले दर्ज किए जाने चाहिए।

वर्किंग हॉलिडे मेकर्स

19 जनवरी 2022 और 19 अप्रैल 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया आने वाले वर्किंग हॉलिडे मेकर (WHM) वीज़ा धारक VAC रीफंड के लिए योग्य हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, रीफंड प्राप्त करना देखें।

आप एक ऑफशोर शून्य VAC (कोई शुल्क नहीं) WHM वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या VAC रीफंड का अनुरोध कर सकते हैं अगर:

- आपको 20 मार्च 2020 से पहले एक कोविड-19 प्रभावित डब्ल्यूएचएम (WHM) वीज़ा प्रदान किया गया था
- आपका WHM वीज़ा 20 मार्च 2020 और 31 दिसंबर 2021 के बीच एक्सपायर हो गया था जब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और
- आपने अपने WHM वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं की, या आपका WHM वीज़ा समाप्त होने से पहले आप ऑस्ट्रेलिया से चले गए।

आप पात्रतानुसार 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक ऑफशोर शून्य वीएसी (VAC) डब्ल्यूएचएम (offshore nil VAC WHM) वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर प्रोग्राम - नवीनतम समाचार देखें।

अगरअब आप एक ऑफशोर शून्य वीएसी डब्ल्यूएचएम (nil VAC WHM) वीज़ा के लिए अप्लाई करने हेतु आयु-संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं करते/करती हैं, तो आप वीएसी (VAC) रीफंड के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं। ऐसा करने के लिए, कोविड-19 यात्रा प्रतिबंध वीएसी (VAC) रीफंड अनुरोध फ़ॉर्म का इस्तेमाल करें। अगर हम रीफंड के आपके अनुरोध को अस्वीकार करते हैं तो कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं होगी।

ऑफशोर शून्य वीएसी (VAC) (Offshore nil VAC) आवेदन और वीएसी (VAC) की धनवापसी के निवेदन 31 दिसंबर 2022 तक जमा कर दिए जाने चाहिए।

5 मार्च 2022 से, आप एक ऑनशोर शून्य वीएसी डब्ल्यूएचएम (nil VAC WHM) के लिए अप्लाई करने हेतु सक्षम हो सकते/सकती हैं, अगर आप उस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और अप्लाई करने हेतु योग्य हैं। वीज़ा पात्रता और ऑनशोर शून्य वीएसी डब्ल्यूएचएम (nil VAC WHM) वीज़ा के लिए आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी नवीनतम समाचारों पर उपलब्ध है। डब्ल्यूएचएम (WHMs) के लिए कोई वीएसी (VAC) रीफंड उपलब्ध नहीं है जो अब उम्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करने के कारण ऑनशोर शून्य वीएसी (nil VAC) वीज़ा के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं हैं।

स्टूडेंट्स

यदि आपके पास 1 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद छात्र वीज़ा था और आप COVID-19 के प्रभावों के कारण मूल वीज़ा की वैधता अवधि के अंदर अपना कोर्स पूरा करने में असमर्थ थे/थीं, तो हम वीज़ा आवेदन शुल्क में माफी देंगे ताकि आप एक और छात्र वीज़ा आवेदन जमा कर सकें। इसमें ये परिस्थितियां शामिल हैं, यदि:

- आपने यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ होने के फलस्वरूप अपने अध्ययन को स्थगित कर दिया है
- आप पढ़ाई को पार्ट टाइम तौर पर करने के लिए बाध्य हो गए थे/थीं
- आप अपने कार्य-आधारित प्रशिक्षण या प्लेसमेंट को पूरा करने में असमर्थ थे/थीं।

यह उपाय उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो सामान्य कारणों से नए छात्र वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं (जिसमें ये परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जबकि आप किसी कोर्स या अध्ययन इकाई में असफल रहे/रही हैं, आपने व्यक्तिगत कारणों से स्थगन किया गया है या आपने स्वेच्छा से अपने अध्ययन के भार को कम किया है।)

आपको छात्र वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, ताकि आपके शुल्क माफी के ऐप्लिकेशन पर विचार किया जा सके और अपने शिक्षा प्रदाता की ओर से पूरा भरा गया फॉर्म 1545 कोविड-19 प्रभावित छात्र संलग्न करना होगा।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुल्क माफी का आवेदन कर रहे/रही हैं, तो स्वतः रूप से ब्रिजिंग वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले शुल्क माफी की जांच करनी होगी।

ये छूट केवल वीएसी (VAC) पर लागू होती है।

इसके अलावा, जो छात्र वीज़ा धारक ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं और 19 जनवरी 2022 से लेकर 19 मार्च 2022 के बीच आगमन करते हैं, वे अपने VAC की वापसी के लिए पात्र हो सकते हैं। VAC रीफंड के लिए कैसे आवेदन करें इसके बारे अधिक जानकारी के लिए, रीफंड प्राप्त करना देखें।

आगंतुक (Visitor) (उपवर्ग 600)

आप बिना किसी शुल्क (VAC छूट) के नए विज़िटर (सबक्लास 600) वीज़ा (फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम को छोड़कर) के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर:

- आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और
- आपके पास विज़िटर (सबक्लास 600) वीज़ा है, या आपके पास पहले था, जो:
    - हमने 21 मार्च 2020 से पहले ऑस्ट्रेलिया के बाहर प्रदान किया था

- 20 मार्च 2020 और 30 जून 2022 के बीच एक्सपायर हो गया था, या एक्सपायर हो जाएगा
- आपका वीज़ा एक बहु प्रवेश वीज़ा या एकल प्रवेश वीज़ा था जिसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए नहीं किया गया था

आपको अपना नई ऐप्लिकेशन 31 दिसंबर 2022 तक ImmiAccount के ज़रिये ऑनलाइन करना होगा।

अपने ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फॉर्म में हमें बताएँ कि आपके पास कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित पिछला विज़िटर वीज़ा था। अगर हम आपकी योग्यता की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपनी ऐप्लिकेशन सबमिट करते समय VAC का भुगतान करने की ज़रुरत नहीं होगी।

आप सिर्फ एक बार अपनी VAC छूट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरी बार छूट प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं, भले ही हम आपका वीज़ा अस्वीकार कर दें।

भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा

2020 के अंत / 2021 की शुरुआत में, भावी विवाह (सबक्लास 300) वीज़ा धारकों, पूर्व वीज़ा धारकों और वीज़ा आवेदकों को सपोर्ट करने के लिए बदलाव किए गए थे, जो कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे।

29 अक्टूबर 2021 को, वीज़ा वैधता अवधि और वीएसी रीफंड्स के और एक्सटेंशनों को पेश किया गया। ये भावी विवाह वीज़ा धारकों को सपोर्ट करते हैं जो अब भी कोविड-19 संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में मुश्किलों का सामना करते हैं।

वीज़ा एक्सटेंशन

जो भावी विवाह वीज़ा धारक या पूर्व वीज़ा धारक 10 दिसंबर 2020 के दिन ऑस्ट्रेलिया से बाहर थे, तथा जिनके पास 6 अक्टूबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 के बीच किसी भी समय एक भावी विवाह वीज़ा था, उनके वीज़ा की वैधता अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई थी।

29 अक्टूबर 2021 को, भावी विवाह वीज़ा धारक जिनके पास सबक्लास 300 वीज़ा था और 15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया से बाहर थे, उनकी वीज़ा वैधता अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी।

आप वीईवीओ(VEVO) के ज़रिये अपने वीज़ा विवरण और शर्तों को चेक कर सकते हैं।

जिन लोगों के वीज़ा बढ़ाए गए थेउनके लिए वीज़ा ऐप्लिकेशन चार्ज रीफंड्स,

जिन परिस्थितियों में कोविड-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके विवाह करने हेतु वीज़ा धारक की क्षमता को प्रभावित किया है, उन परिस्थितियों में वीज़ा ऐप्लिकेशन चार्ज (VAC) रीफंड्स प्रदान किए जा रहे हैं।

अगर आपके भावी विवाह वीज़ा की वैधता अवधि 10 दिसंबर 2020 को बढ़ा दी गई थी, तो वीएसी (VAC) का भुगतानकर्ता रीफंड का अनुरोध कर सकता/सकती है अगर:

- आपने इस वीज़ा के धारक के रूप में 10 दिसंबर 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं की है तथा
- रीफंड के अनुरोध के समय, या तो:
  - आपका वीज़ा प्रभावी होना बंद हो गया है या आपके अनुरोध पर कैंसल कर दिया गया था; या
  - अगर आपका वीज़ा वर्तमान में प्रभावी है, तो आपने मंत्री से अपना वीज़ा कैंसल करने के लिए कहा है।

अगर आपकी भावी विवाह वीज़ा वैधता अवधि 29 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए बदलावों के हिस्से के रूप में बढ़ा दी गई थी, तो आपके VAC का भुगतानकर्ता रीफंड का अनुरोध कर सकता है अगर:

- आपके पास भावी विवाह वीज़ा मौजूद था और 15 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया से बाहर थे और
- आपने इस वीज़ा के धारक के रूप में 15 सितंबर 2021 के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं की है तथा
- रीफंड के अनुरोध के समय आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है क्योंकि आपने मंत्री से अपना वीज़ा कैंसल करने के लिए कहा था।

आम तौर पर रीफंड का अनुरोध सिर्फ ओरिजिनल वीएसी (VAC) रसीद पर 'भुगतानकर्ता' के रूप में दिखाए गए व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। धनवापसी के अनुरोध 31 दिसंबर 2022 तक जमा कर दिए जाने चाहिए।

अगर आपका वीज़ा अभी भी प्रभावी है, तो रीफंड का अनुरोध करने से पहले, आपको अपने भावी विवाह (सबक्लास 300) वीज़ा को कैंसल करने का अनुरोध करने हेतु अपने ImmiAccount का इस्तेमाल करना होगा।

अगर आप वीएसी (VAC) रीफंड के लिए योग्य हैं, तो कोविड-19 यात्रा प्रतिबंध वीएसी (VAC) रीफंड निवेदन फॉर्म का इस्तेमाल करें।

वीएसी (VAC) के रीफंड्स उपलब्ध नहीं हैं अगर:

- आपका भावी विवाह वीज़ा मंत्री द्वारा रद्द कर दिया गया था (अगर आपने इसे कैंसल करने का अनुरोध नहीं किया है)
- आपने पार्टनर (सबक्लास 801) वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और कम वीएसी (VAC) का भुगतान किया था क्योंकि आपके पास भावी विवाह वीज़ा मौजूद था
- जिस समय आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ था उस समय आपने या आपके प्रायोजक ने विभाग को सलाह दी थी कि अब आपका विवाह करने का इरादा नहीं है।

पूर्व वीज़ा धारकों और ऑस्ट्रेलिया में अपने पार्टनर से विवाह करने में असमर्थ लोगों के लिए वीज़ा ऐप्लिकेशन चार्ज रीफंड्स

अगर आपका भावी विवाह वीज़ा 20 मार्च 2020 और 5 अक्टूबर 2020 के बीच एक्सपायर हो गया था, तो वीएसी (VAC) का भुगतानकर्ता वीएसी (VAC) के रीफंड के लिए योग्य हो सकता/सकती है अगर आपका वीज़ा ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहने के दौरान एक्सपायर हो गया था।

वीएसी (VAC) का भुगतानकर्ता भी VAC रीफंड के लिए योग्य हो सकता है अगर आपका वीज़ा बंद हो गया है और आप कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण आपके वीज़ा के एक्सपायर होने से पहले ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रायोजक से विवाह नहीं कर पा रहे थे। इनमें क्वारंटाइन ज़रूरतें, राज्य लॉकडाउन या अंतर्राज्यीय यात्रा प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। वीएसी (VAC) का भुगतानकर्ता इन प्रावधानों के तहत रीफंड के लिए योग्य हो सकता है अगर आप अपने वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करते हैं और:

- आपका वीज़ा 20 मार्च 2020 और 5 अक्टूबर 2020 के बीच प्रभावी नहीं रहा जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे या
- आपका वीज़ा 10 सितंबर 2021 को प्रभावी था और जिस समय आप अपने रीफंड का अनुरोध करते हैं, उस समय आपका वीज़ा प्रभावी नहीं रहता।

यदि आपने अपने प्रायोजक से विवाह नहीं किया है, तो धनवापसियाँ उपलब्ध नहीं होंगी अगर COVID-19 संबंधित प्रतिबंधों ने:

- आपके प्रस्तावित विवाह में शामिल होने में सक्षम मेहमानों की संख्या सीमित कर दी
- मेहमानों, या विशेष मेहमानों को, आपके प्रस्तावित विवाह में शामिल होने से रोका, या
- आपके और आपके प्रायोजक द्वारा पसंद किए गए समय या स्थान पर प्रस्तावित विवाह को बाधित किया।

आम तौर पर धनवापसी का अनुरोध केवल मूल वीएसी (VAC) रसीद पर 'भुगतानकर्ता' के रूप में दिखाए गए व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। अगर आप वीएसी (VAC) रीफंड के लिए योग्य हैं, तो कोविड-19 यात्रा प्रतिबंध वीएसी (VAC) रीफंड निवेदन फॉर्म का इस्तेमाल करें।

वीएसी (VAC) के रीफंड्स उपलब्ध नहीं हैं अगर:

- आपका भावी विवाह वीज़ा मंत्री द्वारा रद्द कर दिया गया था (अगर आपने इसे कैंसल करने का अनुरोध नहीं किया है)
- आपने पार्टनर (सबक्लास 801) वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और कम वीएसी (VAC) का भुगतान किया था क्योंकि आपके पास भावी विवाह वीज़ा मौजूद था
- जिस समय आपका वीज़ा समाप्त हुआ था उस समय आपने या आपके प्रायोजक ने विभाग को सलाह दी थी कि अब आपका विवाह करने का इरादा नहीं है।

पूर्व भावी विवाह वीज़ा धारकों के लिए, किसी भी आगामी भावी विवाह या पार्टनर वीज़ा ऐप्लिकेशनों की प्रोसेसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐप्लिकेशनों की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक समय इस बात पर निर्भर होगा कि क्या ऐप्लिकेशन पूरा किया गया है और ये वीज़ा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

भावी विवाह वीज़ा आवेदक

COVID-19 संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ भावी विवाह वीज़ा आवेदकों की सहायता के लिए, 27 फरवरी 2021 से दिए गए भावी विवाह वीज़ाओं की वीज़ा वैधता अवधि 9 से 15 महीनों के बीच हो सकती है। यह पिछले 9 महीनों की मानक वैधता से भिन्न है। 27 फरवरी 2021 को या उसके बाद दिए गए भावी विवाह वीज़ा की वैधता अवधि आवेदक की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

आप वीईवीओ(VEVO) के ज़रिये अपने वीज़ा विवरण और शर्तों को चेक कर सकते हैं।